(2M)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 310–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–12–2014 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला खरगौन प्रकरण कमांक 14/बी–105/47क–3/2014–15.

मेसर्स किचन फुड्स खरगौन की ओर से भागीदार
1. मंजीतसिंह पिता श्री देवेन्द्र सिंह भाटिया
   निवासी 8,पालीवाल नगर, इन्दौर म0प्र0
2. विश्वास पिता श्री भरत कुमार जैन
   निवासी 14, जानकी नगर एक्सटेंशन, नवलखा
   इन्दौर म0प्र0

–––––अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा उप पंजीयक
उप पंजीयक कार्यालय, खरगौन म0प्र0

–––––उत्तरवादी

– – – – – –

श्री रूचिर पाराशर, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 10 अप्रैल 2015)

– – – – –

यह अपील कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला खरगौन प्रकरण कमांक 14/बी–105/47क–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 03–12–2014 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि महालेखाकार ग्वालियर के अंकेक्षण दल द्वारा उपपंजीयक कार्यालय खरगोन का अंकेक्षण किये जाने पर

दस्तावेज कमांक अ1/670 दिनांक 17–10–2013 विलेख न्यून मूल्यांकित पाये जाने के फलस्वरूप उपपंजीयक खरगोन द्वारा दस्तावेज कलेक्टर आफ स्टाम्प को उचित मूल्यांकन हेतु प्रेषित किये। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 47–क(3) में प्रकरण दर्ज किया गया। कलेक्टर आफ स्टाम्प ने आदेश दिनांक 03–12–2014 के द्वारा दस्तावेज का मूल्यांकन कर कमी मुद्रांक शुल्क 4,56,829/– एवं कमी पंजीयक शुल्क 17,364/– कुल 4,74,193/– तथा अधिनियम की धारा 40 के अधीन 5000/– शास्ति अधिरोपित की गई। कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि उपपंजीयक खरगोन ने बाजार मूल्य का जो अनुमान किया है वह मनमाना होकर आधारहीन है। कलेक्टर आफ स्टाम्प ने जिस गाईडलाईन के आधार पर गणना की गई है वह किस वर्ष के लिए निर्धारित है उसका उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि निष्पादित दस्तावेज अनुसार जो क्षेत्रफल निर्मित होना बताया है उसका आंकलन राज्य मार्ग कमांक 26 पर स्थित होना दर्शाते हुये बाजार मूल्य का निर्धारण किया है जो न्यायोचित नहीं है। तर्क में यह भी कहा कि प्रश्नाधीन दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति नगर पालिका सीमा में है परन्तु वास्तविक रूप से प्रश्नाधीन सम्पत्ति नगर पालिका सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्क में यह भी कहा कि कलेक्टर आफ स्टाम्प ने सम्पूर्ण भूमि को औद्योगिक प्रयोजन की भूमि माना है जबकि औद्योगिक भूमि अलग है जिस पर औद्योगिक शेड निर्मित है तथा खुली भूमि औद्योगिक प्रयोजन की नहीं है। अतः इनका पृथक–पृथक मूल्य अवधारित किया जाना चाहिए था जो कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा नहीं किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया कि धारा 40 के अर्न्तगत पारित आदेश की निगरानी 56(4) के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को की

जा सकती है। अतः अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ प्रत्यर्थी शासकीय अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि दिनांक 03—12—2014 को कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया, जबकि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण 47—क(3) के अधीन दर्ज किया गया था जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अधिनियम की धारा 47—क(4) के अधीन आयुक्त को करना चाहिए थी। तर्क में यह भी कहा कि अपीलार्थी केवल अधीनियम की धारा 40 के तहत आरोपित शास्ति के विरूद्ध धारा 56(4) में निगरानी याचिका प्रस्तुत करता तो ग्राह्य की जा सकती थी, परन्तु धारा 47—क(3) में दर्ज एवं इसी धारा में निराकृत आदेश में न्यून मुद्रांक शुल्क, न्यून पंजीयन शुल्क के संबंध में पारित आदेश को इस न्यायालय में चुनौती देना क्षेत्राधिकार रहित है। अतः यह अपील इस न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 47क—3 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। वस्तुतः कलेक्टर आफ स्टाम्प ने इस प्रकरण में धारा 47—क(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर विचाराधीन दस्तावेज का बाजार मूल्य अवधारित कर उस पर तद्नुसार मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क अवधारित करने का आदेश दिया साथ ही दस्तावेज सम्यक रूप से मुद्रांकित न होने के कारण धारा 40(ख) के तहत शास्ति भी आरोपित की। इस प्रकार एक ही प्रकरण में दो प्रावधानों के तहत कार्यवाही की है। धारा 40(ख) के अन्तर्गत किए गए आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल को निगरानी की

जा सकती है तथा धारा 47–क(3) के तहत किए गए आदेश के विरूद्ध धारा 47(4) में अपील संभागायुक्त को की जा सकती है। अपील आवेदन की विषयवस्तु के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी मुद्रांक संग्राहक (कलेक्टर आफ स्टाम्प) द्वारा बाजार मूल्य अवधारण तथा उस पर लगाए गए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क से व्यथित है। कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध अपीलार्थी व्यथित है ऐसा अपील आवेदन से प्रकट नहीं होता। वैसे भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा धारा 40 के अन्तर्गत किए गए आदेश के विरूद्ध धारा 56(4) में राजस्व मण्डल को निगरानी की जा सकती है, अपील नहीं। अतः उक्त आधार पर यह अपील ग्राह्य योग्य न होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर